स्वच्छ भारत अभियान

सं0 3/एम.एस.-81/60-2-14-2/12(1)/14

प्रेषक,

सदाकान्त,

प्रमुख सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,

बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

महिला एवं बाल विकास अनुभाग-2 लखनऊ: दिनॉक 30 सितम्बर, 2014

विषय- बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग में स्वच्छ भारत अभियान संचालित किये जाने के सम्बन्ध में

महोदय ,

उपर्युक्त विषयक के सम्बन्ध में अवगत है कि भारत सरकार द्वारा दिनॉक 25.09.2014 से पूरे देश में एक समान रुप से स्वच्छ भारत अभियान कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया है। इस कार्यक्रम के माध्यम से स्वच्छ भारत के लक्ष्य को वर्ष 2019 में महात्मा गांधी के 150 वें जन्म दिवस तक प्राप्त किया जाना है। इस सम्बन्ध में मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश के स्तर से शासनादेश दिनांक 22 सितम्बर, 2014 द्वारा प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में सम्पूर्ण स्वच्छता के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु समयबद्ध अभियान चलाये जाने के निर्देश दिये गये है एवं इसी सम्बन्ध में प्रमुख सचिव, पंचायती राज, अनुभाग-3, उ0प्र0 शासन के पत्र दिनांक 19 सितम्बर, 2014 द्वारा इस अभियान के लिए विस्तृत दिशा –निर्देश निर्गत किये गये है।

2. इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम के अन्तर्गत सार्वजनिक जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सामाजिक सहभागिता एवं जन-जागरुकता जागृत कर प्रत्येक घरों, विद्यालयों, अस्पतालों, सरकारी/गैर सरकारी कार्यस्थलों, गली-मुहल्लों, बाजारों आदि दैनिक जीवन से सम्बन्धित सभी स्थलों को स्वच्छता अभियान से संयुक्त किया जाना है।

3. स्वच्छता और स्वास्थ्य के आपस में सीधे सम्बन्धित होने के कारण इस अभियान को दैनिक जीवन की कार्यसंस्कृति में विशेषकर बाल्यकाल से ही अपनाया जाना आवश्यक है। इसी क्रम में अपर सचिव, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्र दिनांक 18.09.2014 द्वारा बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग में प्रथम चरण में दिनांक 22.09.2014 से 21.10.2010 की अवधि में सभी

http://shasanadesh.upnic.in/

जिला कार्यक्रम कार्यालय, बाल विकास परियोजना कार्यालय एवं आगंनबाडी केन्द्रों पर **स्वच्छ भारत अभियान** संचालित करने के निर्देश दिये गये है। भारत सरकार द्वारा उक्त अवधि में विभाग में संचालित कार्यालयों/आंगनबाडी केन्द्रों / पास-पडोस तथा अन्य स्थलों पर स्वच्छता के महत्व पर सामान्य जनचेतना जगाने तथा प्रत्येक स्तर पर स्वच्छता अभियान का व्यापक प्रचार-प्रसार करने की अपेक्षा की गयी है।

4. अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह आपसे कहने का निदेश हुआ है कि बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग के जिला/ब्लाक स्तर पर समस्त कार्यालयों/परियोजनाओं तथा आंगनबाडी केन्द्रों तथा सम्बन्धित ग्रामों में **स्वच्छ भारत अभियान** उत्साहपूर्वक चलाया जाय तथा इस हेतु निम्न बिन्दुओं पर विशेष बल दिया जाय-

- प्रतिदिन कार्यालयों/आंगनबाडी केन्द्रों की सफाई सुनिश्चित की जाय तथा **स्वच्छ भारत अभियान** की भावना से आसपास के लोगों को जागरूक करते हुये स्वच्छता/साफ-सफाई के बारे में व्यापक प्रचार-प्रसार कराया जाय।

- आंगनबाडी केन्द्रों पर बच्चों/उनकी माताओं को भोजन से पूर्व हाथ धोने एवं व्यक्तिगत स्वच्छता के महत्व के सम्बन्ध में ध्यान आकृष्ट कराया जाय।

- मातृ समिति के माध्यम से लाभार्थियों के माता-पिता तथा समुदाय के लोगों को भी साफ-सफाई हेतु जागरुक करना तथा इसका व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाय।

- जनपद, परियोजना/ब्लाक एवं ग्राम स्तर पर सफाई के महत्व पर आपसी चर्चा, खेल, नुक्कड नाटकों , चित्रकला, निबन्ध/साहित्यिक प्रतियोगिता के माध्यम से तथा आंगनबाडी केन्द्रों पर होने वाले अन्य सामाजिक कार्यक्रमों द्वारा जन-सामान्य को जागरूक किया जाय।
- जनपद, ब्लाक एवं ग्राम स्तर पर किये गये कार्यक्रम का फोटोग्राफ लेकर जनपद स्तर पर एनआईसी के माध्यम से फोटोग्राफ को एनआईसी की वेबसाईट पर लोड किया जाय।

http://shasanadesh.up.nic.in/

- आंगनबाडी केन्द्रों में आने वाले गर्भवती/धात्री महिलाओं एवं किशोरियों को साफ-सफाई एवं स्वच्छता के बारे में विस्तृत रूप से जागरूक एवं प्रचार-प्रसार किया जाय।

5. इस सम्बन्ध में मुझे आपसे यह भी कहने की अपेक्षा की गयी है कि वर्ष 2019 तक स्वच्छ भारत अभियान के उददेश्य प्राप्त करने हेतु उक्त समस्त कार्यो को अनिवार्य रूप से सम्पन्न कराया जाये। इसमें किसी प्रकार की शिथिलता न बरती जाय।

कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की जाय।

भवदीय

(सदाकान्त)
प्रमुख सचिव

संख्या - एम.एस.-81(1)/60-2-14/तददिनॉक।

प्रतिलिपि:निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1- प्रमुख सचिव, पंचायती राज, अनुभाग-3, उ0प्र0 शासन को उनके पत्र दिनांक 19.09.2014 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

2- समस्त जिला कार्यक्रम अधिकारी/प्रभारी जिला कार्यक्रम अधिकारी, को इस निर्देश के साथ कि उक्त स्वच्छता अभियान के सम्बन्ध में दिये गये उपरोक्त निर्देशों के अनुपालन हेतु समयबद्ध कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

आज्ञा से

(मिश्रीलाल पासवान)
विशेष सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in/